नईदुनिया

बिलासपुर में बास कंपनी के नकली सामान बेचने वाला व्यवसायी पकड़ा गया

बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। सिविल लाइन पुलिस ने मोटरसाइकिल के नकली पार्ट्स और आइल बेचने के आरोपित को पकड़ा है। उसके कब्जे से नकली स्पार्क प्लग और आइल जब्त कर कापीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 132 एक्सप्रेस ट्रेड टावर में रहने वाले पौषिक विश्वास(25) वीएंडजे एसोसिएट में जांच अधिकारी हैं। उनकी कंपनी बोस कंपनी के उत्पादों के नाम से बेचे जाने वाले नकली सामान की जांच करती है। कंपनी के अधिकारियों को सूचना मिली कि बिलासपुर में कंपनी से मिलते जुलते नाम से नकली सामान बेचा जा रहा है। इस पर जांच अधिकारी ने शहर में आकर इसकी तस्दीक की।

इसके बाद मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। कंपनी के अधिकारी के बताए मुताबिक सिविल लाइन पुलिस ने राजीव गांधी चौक के पास स्थित विशाल आटो पार्ट्स में दबिश दी। आटो पार्ट्स बेचने वाले व्यवसायी संजय श्यामवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दुकान की जांच में 482 स्पार्क प्लग, चार डिब्बा इंजन आइल जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कापीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

इससे पहले भी शहर में कई नामी कंपनियों का नकली सामान पकड़ा जा चुका है। कुछ व्यापारी नकली सामान को ग्राहकों को असली कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे कंपनी के साथ उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो रहा है। स्थानीय स्तर पर इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। कंपनी के अधिकारी जानकारी होने पर जांच कर शिकायत करते हैं। इसके बाद भी कार्रवाई की जाती है।

Source: https://www.naidunia.com/chhattisgarh/bilaspur-businessman-caught-selling-counterfeit-parts-and-oil-of-bass-company-in-bilaspur-7912563